<u>जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के सरकारी वाहनों की नीलामी हेतु</u>
<u>नीलामी की नियम व शर्तें</u>

1. सरकारी वाहन <u>यू0पी0–70 जे0 7013</u> (एम्बेसडर कार पेट्रोल चालित, माडल–1996) तथा <u>यू0पी0–73 0777</u> (एम्बेसडर कार पेट्रोल चालित, माडल–1998) की नीलामी दिनांक : **05.02.2016** को सायं **03:00** बजे से जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के नवीन भवन में जिलाधिकारी, कौशाम्बी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष की जायेगी ।

2. नीलामी में बोली बोलने हेतु आवेदन पत्र दिनांक : **05.02.2016** से पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर या दिनांक : **05.02.2016** को बोली बोलने से पूर्व प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुभाग की अनुमति के उपरान्त नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है ।

3. बोली दाता को जमानत/धरोहर धनराशि **10,000/– रुपये** नकद धनराशि के रुप में दिनांक : **05.02.2016** से पूर्व या दिनांक : **05.02.2016** को बोली बोलने से पूर्व प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुभाग की अनुमति के उपरान्त जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी । नीलामी में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित न होने की दशा में जमानत/धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

4. उपरोक्त वाहनों का निरीक्षण, इच्छुक व्यक्ति के द्वारा दिनांक : **05.02.2016** के पूर्व किसी भी कार्यदिवस में सुबह **10.00 बजे** से सायं **4:00 बजे** के मध्य या दिनांक : **05.02.2016** को बोली बोलने से पूर्व जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुभाग की अनुमति के उपरान्त किया जा सकता है ।

5. जमानत/धरोहर धनराशि जमा करते समय बोली दाता को अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो, निवास तथा पहचान/परिचय पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटो कापी जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के नज़ारत अनुभाग में जमा करनी होगी ।

6. नीलामी हेतु संदर्भित वाहन की नीलामी "<u>जहॉ भी, जैसी भी स्थिति में है</u>", के आधार पर नीलाम कर कब्जा दिया जायेगा तथा बाद में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

7. सर्वाधिक बोलीदाता को सर्वोच्च/स्वीकृत बोली की **1/2** भाग की धनराशि उसी समय जमा करनी होगी तथा शेष **1/2** भाग की धनराशि नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात **7 दिन** के भीतर, वाहन का वास्तविक रुप में कब्जा लेने के पूर्व जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के नज़ारत अनुभाग में जमा करनी होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।

8. नीलामी में सफल व्यक्ति अपने स्वयं के खर्चे पर वाहन को नीलामी स्थल से ले जायेंगे तथा उनको वाहन के विक्रय पत्र/हस्तानान्तरण तथा

नीलामी की विज्ञप्ति विज्ञापन का खर्च भी स्वयं वहन करना होगा ।

9. नीलामी में असफल व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर धनराशि उसी दिन नीलामी के उपरान्त वापस कर दी जायेगी ।

10. वाहनों की नीलामी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नीलामी स्वीकृति पत्र, दिनांकित : **17.09.2015** में निर्गत किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार करायी जायेगी ।

11. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में मा0 जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी का निर्णय सर्वमान्य तथा अन्तिम होगा ।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष, नीलामी समिति

दिनांक : 18.01.2016

अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी
जिलाधिकारी, कौशाम्बी द्वारा नामित

<u>नीलामी समिति के सदस्यगण</u> :–

1. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–05,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।

2. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
कौशाम्बी ।